

को पेश हो

पत्रावली पेश एवं कार्यवाही  
दिनांक 25/01/2024

19/01/24

पत्रावली पेश। प्राचीन अधि. इ.प.। प्रा.प.  
वकील प्राचीन अधि. इ.प.। प्रा.प. वकील/पत्रावली  
I.T. धारा 212 पर पुनः मजिद बहस

हेतु समय चाहा था। जो किटा जाकर  
पत्रावली दिनांक 25/01/2024 को पेश हो  
Punjab



25/01/24

पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हो  
दोरे पर इदीगर धारों में व्यक्त है। अतः पत्रावली  
दिनांक 25/01/24 को पेश हो।

30/01/24

पत्रावली पेश। उन्नयपन्न बहस सुनी गई। बहस पर  
मनन किया गया। मुताबिक बहस - " विवादित भूमि पर  
प्रति. सं. 02 द्वारा 1 बीघा भूमि पर अतिक्रमण  
किया हुआ है। प्राचीन ने अपनी संयुक्त  
स्वातेदारी भूमि में से 5 बीघा भूमि, अर्थात् सं. 03  
को, 10 बीघा - 10 बिस्वा भूमि अर्थात् सं. 01, 6 बीघा -  
17 बिस्वा भूमि अर्थात् सं. 02 को, 17 बिस्वा भूमि  
अर्थात् सं. 01 को बेचान की। किंतु अर्थात् सं. 01  
ता 03 द्वारा बेचान की गई भूमि से अधिक  
भूमि पर कब्जा किया गया है। अतः अर्थात् सं.  
01 ता 03 को पाबंद किया जावे कि वे विवादित  
भूमि का बेचान, गिफ्ट, वसीयत ना करे।"

आदेशिका मूलवाद दिनांक 11/02/21 के  
अनुसार जवाब बंद किया गया है। चूंकि प्रा.पत्र  
under section 212 RTA संबंधी पत्रावली  
वर्ष 2015 में संबंधित है, जो उचित नहीं है।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही का इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---

जमाबंदी संवत् 2059-62 के अनुसार ख-ख-123 का ख-ख-22 बीघा 11 बिस्वा है, जो गौबरराम के वारिसाच एवं लूम्बाराम के नाम दर्ज है। उक्त भूमि में से क्रमशः 17 बिस्वा, 10 बीघा - 10 बिस्वा भूमि अर्थात् सं: 01 को बेचान की गई है। अर्थात् सं: 03 को 5 बीघा भूमि बेचान की रजिस्ट्री संलग्न है। अर्थात् सं: 02 को 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि बेचान के दस्तावेज संलग्न हैं।

चूंकि जमाबंदी में बेचान पश्चात् शेष खाला बंदस्तूर का नोट अंकित किया गया है, बेचान पश्चात् शेष भूमि मूल सह-स्वातेदारों के नाम दर्ज है, अतः अर्थात् अर्थात् द्वारा उक्त भूमि का बेचान, वसीयत नहीं किया जा सकता। प्रा-पत्र under section 212 RTA अस्वीकार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दारिबल - दफतर हो।

प्रमिका  
सहायक कलेक्टर एवं जज  
मजिस्ट्रेट (F.I.), जयपुर

